

जाहने है। जखान व वकालतनामा होना व 20/10/24 सुबह 8 बजे को दिया जाकर मिला 29/10/24 को जेडा है।

(Handwritten signature)

29/10/24 आज प्रातः 9 सी.एम./एस.डी.एम. साहब के साथ पेश है। गैरी इलाका को जाकर पत्रावली जारी रख 04/10/24 को पेश हो।

04/10/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील जाणा हुआ, वकील सुनारिया जखान व वकालतनामा होना पत्रावली जाहने है जखान व वकालतनामा होना व 20/10/24 सुबह 8 बजे को दिया जाकर मिला 29/10/24 को जेडा है।

29/10/2024 पत्रावली आज पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। वकील अग्रणीगण ने जवाब पेश नहीं करके सीधे ही बल्स हेतु निवेदन किया। उभय पक्ष वकील बहस सुनी गयी। उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध हस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तमो द्विचक्र प्रथम दुस्रया मामला, सुविधा का संतुलन एवं प्रथम अग्रणीगण के पक्ष में सिड होते हैं। अग्रणीगण का अग्रणीगण- पत्र अंतर्गत धारा 212 काश्तकारी आधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 14.12.2023 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाड के अस्तारण तक कन्कर्म किया जाता है तथा दोनों पक्षों को राजस्व रेकॉर्ड एवं मौजे की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पावर्ड किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाड तकमील हाथिल हुफत है।



निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।

(Handwritten signature)
29/10/24
सहायक कलेक्टर
फा.प. (फलोदी)